

न्यायालय SDO बसवा
 प्रकरण सं. 179/23 T
 प्रभुदयालदास बनाम सुनिता देवी -
 हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जाज



पुस्तिका - पत्र पर बंद हो चुकी गई। प्रस्तुत प्रस्तोचन का अवलोकन किया प्रथम दृष्टि में प्रस्तावित प्रस्तावित केस सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति का सिद्धांत प्रतीति के पक्ष में होना उचित नहीं होगा है।

लिखना अंगरिम अस्थाई निष्पत्ति प्राप्त है अथवा पक्षकारान को पार्श्व दिया जाता है कि विवादित आवासीय प्लॉट नं० 861, 864 व 865 ग्राम बसवा नए बसवा का सीमा ज्ञान होने तक जॉर्ज, रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखें। तलकी अध्यात्म गण जर्ने नोएिस र. इ. र. व. इ. तलवाना जमी देकर दिनांक 24.1.24 को पत्रा पेश हो।

उप जिला नजिसट्रेट
 बसवा (दोसा)

24/1/24

पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य प्रगति/दिनांक का राज्य कार्य में बसवा होने से जनकपुर तारीख पेशी हो गई गत बंद हो जाने में दिनांक... 24/1/24 को पेश हो।

हस्ताक्षर शीडर

अ-24 पत्रावली पेश हुई। पत्रावली में प्राथमिकता द्वारा प्रस्तुत प्र. पत्र वास्ते प्रकरण में आपसी (हमारी) से शान्तिनामा हो जाने के कारण, प्रकरण withdraw करने की प्रतीति से प्रस्तुत withdraw प्र. पत्र को प्रकरण में न्यायालय परतल पर रखा गया। प्राथमिकता उपस्थित आपसी उन्हें सौरीवक व लिखित दिनांक प्रकाश से न्यायालय हाजिर से निवेदन किया कि उनका प्रकरण में आपसी शान्तिनामा होने के कारण प्राथमिकता प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं लिखा जा उन्हें प्रकरण withdraw की अनुमति प्रदान की जाये। प्राथमिकता प्र. पत्र जरिये Advocate श्री मनोज मिश्रा लीकाल किया प्रकरण परतल परतल को प्रकरण के सन शुभान्ता को प्रकरण से काम की प्रतीति है। पत्रावली यादिल द फुलर हो।

Handwritten signature



उप जिला नजिसट्रेट
 बसवा (दोसा)